आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक .... ता0 .... से .... तक
जिला – राँची। जमाबन्दी निरस्तीकरण अभिलेख सं0 19 / 2021-22
केस का प्रकार – जमाबंदी निरस्तीकरण हेतु। वर्ष = 2021–22

आदेश एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
18/8/21	उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर राँची के पत्रांक 1800(ii) दिनांक 17.07.2021 के के आलोक में आवेदक श्री सत्यनारायण प्रसाद, पिता– स्व० हिंगन साव, पता– बिरसा चौक, भूरकूण्डा, हुरूमगढ़ा, जिला– रामगढ़ ने मौजा– मदनपुर, थाना– पिठोरिया, थाना सं0– 7, खाता सं0– 53, प्लॉट सं0– 270, रकबा– 25.5 डी० भूमि की रजिस्ट्री डीड एवं रसीद निरस्त करने से संबंधित है। अतः उभय पक्षों को उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर राँची के पत्रांक 1800(ii) दिनांक 17.07.2021 के आलोक में नोटिस निर्गत करें। अंचल अधिकारी, 18/8/21 कांके, राँची।
21/10/21	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। कागजात जमा करने हेतु पुनः द्वितीय नोटिस निर्गत करें। अंचल अधिकारी, 21/10/21 कांके, राँची।
10/1/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– मदनपुर, खाता सं०– 53, प्लॉट सं0– 270 का राजस्व कागजात, सर्वे खतियान हल्का में उपलब्ध पंजी II एवं ऑनलाईन पंजी II के आधार पर प्रतिवेदन निम्न प्रकार हैः–

- **सर्वे खतियान के अनुसारः–**

खाता सं0	रैयत का नाम	प्लॉट सं0	रकबा	किस्म
53	रामलाल सोनार वगैरह जाति सोनार	270	51 डी0	कायमी

- **पंजी II के आधार परः–**

क्र0	खाता	प्लॉट	रकबा	रैयत का नाम	केवाला सं0	दा0खा0 वाद सं0	भोलुम / पेज
1	53	270	25½ डी0	सत्यनारायण प्रसाद वर्मा पिता हिंगन साहु	833 दिनांक 01.02.1980	7R27 / 1984–85	II / 68
2	53	270	25½ डी0	सत्यनारायण प्रसाद वर्मा पिता हिंगन साहु	बटवारा पट्टा सं0 15428 दिनांक 26.12.1970	2206R27 / 2007–08	II / 54

इस प्रकार खरीदगी पट्टा एवं बँटवारा पट्टा से दा0खा0 होकर पूर्ण खातियानी रकबा– 51 डी0 जमीन का जमाबंदी सत्यनारायण प्रसाद वर्मा पिता हिंगन साहु के नाम से चल रहा था। जहाँ से 25.5 डी० जमीन सत्यनारायण प्रसाद वर्मा ने उदय प्रताप सिंह वगैरह को

Scanned with CamScanner

बिक्री किया। जिसका दा0खा0 वाद सं0— 5447/2016—17 में स्वीकृत होकर भाग संख्या— 5 के पृष्ट संख्या— 10 में जमाबंदी कायम है।

केवाला सं०— 7162/6753 दिनांक— 16.12.2017 को अयोध्या साहु पिता— स रामलाल साहु के द्वारा नकहत हुसैन पति मो० अरशद हुसैन को बिक्री कर दिये हैं। जिसका भी दा0खा0 वाद सं0— 4427R27/2018—19 में स्वीकृत होकर पूर्व में ही पूरा खतियानी रकबा बिक्री होने के बाद में अयोध्या साहु पिता स्व0 रामलाल सोनार ने नकहत हुसैन पति मो0 अरशद हुसैन को खाता सं0— 53 के प्लॉट सं0— 270 से 25.5 डी0 भूमि को केवाला सं0— 6753, दिनांक— 16.12.2017 को बिक्री किया है। जिसका भी ऑनलाईन दाखिल खारिज वाद सं0— 4427/2018—19 में स्वीकृत होकर भाग— 5 के पृष्ट सं0— 81 पर कायम है। जिससे खतियानी रकबा— 51 डीसमील से 25.5 डीसमील अधिक का जमाबंदी कायम हो गया है। अतः ऐसी परिस्थिति में दाखिल खारिज वाद सं0— 4427/2018—19 जो नकहत हुसैन पति मो0 अरशद हुसैन के नाम से भाग सं0—5 के पृष्ट सं0— 81 पर कायम जमाबंदी को विलोपित करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आलोक में श्रीमति नकहत हुसैन, पति— मो० अरशद हुसैन, पता— पतरा टोली काँके, जिला— राँची के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रतर कार्रवाई हेतु उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर राँची को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

10/1/22

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

10/1/22

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान अंचल अधिकारी
कांके (राँची)

विषय :- ऑनलाइन डाटा एवं रसीद निरस्त करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर राँची के पत्रांक - 1800(ii) दिनांक - 17-07-21 द्वारा मौजा मदनपुर थाना सं0-7 के खाता सं0-53 प्लॉट सं0-270 रकबा 25.5 डी0 भूमि की जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई है।

उक्त भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रामलाल सोनार वो होंगल सोनार वो रामलगन सोनार पेशरान नन्दलाल सोनार वो झीबू सोनार वल्द जैपाल सोनार वो रामेश्वर सोनार वो परमेश्वर सोनार पेशरान जंगल सोनार कौम सोनार साकिन पिठोरिया दर्ज है। प्लॉट सं0 270 रकबा - 51 डी0 खतियान में दर्ज है।

उक्त भूमि का जमाबन्दी निम्न प्रकार से कायम है

	खाता	रैयत का नाम	प्लॉट	रकबा	
①	53	मो0 जोरवा कुँवर जौजे राम लाल सोनार	270	25.5 डी0	— I/149 [OFF एवं ON Line में
②	53	श्री सत्यनारायण प्रसाद वर्मा पिता हिंगना साहु	270	25.5 डी0	— II/54 (बौटवारा पट्टा (OFF एवं ON LINE) संख्या 15428 दिनांक 26-12-1970 से प्राप्त जिसका दा0 खा0 वाद सं0 2206R27/07-08
③		सत्यनारायण प्रसाद वर्मा पिता हिंगना साहु	270	25.5 डी0	(OFF एवं ON LINE) — II/68 (केवाला सं0 833 दिनांक 1-02-1980 को अयोध्या प्रसाद पिता रामलाल साहु से प्राप्त है जिसका दा0 खा0 वाद सं0 7R27/84-85)

इस प्रकार सत्यनारायण प्रसाद वर्मा को बौटवारा एवं खरीदगी से खतियानी रकबा 51 डी0 पूरा प्राप्त है। उसमें से 25½ डी0 सत्यनारायण वर्मा ने अपना बौटवारा वाला हिस्सा से उदय प्रताप सिंह वो संजीव कुमार सिंह पिता देव कुमार सिंह को बिक्री किया जिसका जमाबन्दी भाग 5 के पृष्ठ 10 पर ON Line जमाबन्दी कायम है।

Scanned with CamScanner

पूर्व में ही पूरा खतियानी रकबा बिक्री होने के बाद में अयोध्या साहू पिता स्व० रामलाल सोनार ने नकहत हुसैन पति मो० अरशद हुसैन को खाता 53 के खेसरा सं० 270 से 25½ डी० भूमि को केवाला सं० 6753 दिनांक 16-12-2017 को बिक्री किया है। जिसका भी ON-LINE दा० खा० वाद सं० 4427/2018-19 में स्वीकृत होकर भाग-5 के पृ०681 पर कायम है। जिससे खतियानी रकबा 51 (एकावन) डिसमील से 25½ डिसमील अधिक का जमाबन्दी कायम हो गया है।

अतः ऐसी स्थिति में दा०-खा० वाद सं० 4427/2018-19 जो नकहत हुसैन पति मो० अरशद हुसैन के नाम से भाग-5 के पृ०681 पर कायम जमाबन्दी को विलोपित करने को अनुशंसा किया जा सकता है।

[signature]
रा० क० कर्म०

अनुसार
[signature]
ci

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.05.23 17:01:27 +05:30
Location: 192.168.29.226

Scanned with CamScanner